रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11062024-254651
SG-DL-E-11062024-254651

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]	दिल्ली, सोमवार, जून 10, 2024/ज्येष्ठ 20, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 65
No. 148]	DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2024/JYAISHTHA 20, 1946	[N. C. T. D. No. 65

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जून, 2024

फा0सं0 13(59)/2023/क0सं0एवंभा0/276.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 28 अक्टूबर, 1968 की अधिसूचना सं0 फा0 2/16/65–एस(सी) द्वारा प्रकाशित एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0फा0 2/16/65–एस(सी) एवं दिनांक 25 अगस्त, 1981 की अधिसूचना सं0फा0 2/79/80–एस.II द्वारा संशोधित इस सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग में 'तकनीकी सहायक (हिन्दी)' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (1) इन नियमों को कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, तकनीकी सहायक (हिन्दी) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–**उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि :–**उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–**वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव :–** इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	तकनीकी सहायक (हिन्दी)
2.	**पदों की संख्या**	:	06* (2024) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर **टीप :** कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग में 05 पद दिल्ली अभिलेखागार विभाग में 01 पद
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह–'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर–6 (रुपये 35400–112400/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीप :–** आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक**	:	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा

	तथा अन्य योग्यताएं		ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा हिंदी माध्यम सहित हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम सहित हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी सहित हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में मास्टर डिग्री अथवा या तो डिग्री स्तर पर इन दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में हो तथा दूसरा अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हो; तथा (ii) हिंदी से अंग्रेजी तथा विलोमतः अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण–पत्र अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी तथा विलोमतः अनुवाद कार्य का दो वर्षों का अनुभव रखने वाले। **टीप 1 :** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप 2 :** यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए**	:	आयु : लागू नहीं

	निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।		शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	दो वर्ष। **टीप :** सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति...**	:	सीधी भर्ती द्वारा। **टीप :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले तथा कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति :** 1. वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. प्रशासनिक सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (सा0प्रशा0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चोखा राम गर्ग, सचिव (क0सं0एवंभा0)

DEPARTMENT OF ART, CULTURE AND LANGUAGES

NOTIFICATION

Delhi, the 10th June, 2024

No.F.13(59)/2023/ACL /276.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the notification of this Government, published vide notification No.F.2/16/65-S(C) dated 28th October, 1968 and amended vide notification No.F.2/16/65-S(C) dated 18th December, 1968 & No.F.2/79/80-S.II dated 25th August, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such

supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Technical Assistant (Hindi)' in the Department of Art, Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short Title and Commencement.

(1)These rules may called the Department of Art, Culture & Languages, Technical Assistant (Hindi) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and level in pay matrix.**

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications.

No persons, -

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	**Name of Post.**	Technical Assistant (Hindi).
2.	**Number of Posts.**	06* (2024) *Subject to variation dependent on workload. **Note :** 05 posts in ACL Department. 01 post in Department of Delhi Archives
3.	**Classification.**	General Central Service Non Ministerial, Non-Gazetted Group-B
4.	**Pay Level in the Pay Matrix.**	Level – 6 (Rs. 35400-112400)
5.	**Whether Selection Post / Non-Selection Post.**	Not Applicable
6.	**Age limits for Direct Recruits.**	Not Exceeding 30 Years. (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

		Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Competent Authority.
7.	**Educational and other qualification required for direct recruits.**	(i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level; (OR) Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (ii) Possessing a recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in the Central or State Government or Union Territory Administration Office, including Government of India Undertaking. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
8.	**Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.**	AGE : Not Applicable EQ : Not Applicable
9.	**Period of Probation if any.**	Two years **Note :** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Competent Authority.
10.	**Method of Recruitment.**	By Direct Recruitment **Note** : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other

		circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Col 7.
11.	**In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.**	Not Applicable
12.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee** 1. Financial Commissioner, Government of NCT of Delhi : **Chairperson** 2. Administrative Secretary of the Department of Art, Culture & Languages, GNCT of Delhi : **Member** 3. Special/Additional Secretary (GAD), GNCT of Delhi: **Member**
13.	**Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

CHOKHA RAM GARG, Secy. (ACL)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.06.11 22:04:40 +05'30'